संख्या-4-2024-डीएफए-695587-38-7099-1090-2019

प्रेषक,

सुखलाल भारती,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 04 मार्च, 2024

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर विभिन्न रिक्तियों पर कार्मिकों की सेवायें प्राप्त किये जाने हेतु चयन की कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–डीएफए/667001/38-7099/1090/2019, दिनांक 05-02-2024, पत्र संख्या-1444/38-7-2022-04विविध /2005टीसी, दिनांक 20-09-2022 एवं पत्र संख्या-154/38-7-2022-04विविध /2005टीसी, दिनांक 15-05-2023 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्र संख्या-2307/मनरेगा/पत्रासं0-498/2022, दिनांक 14-10-2022, पत्र संख्या-668/मनरेगा/पत्रासं0-498/2022, दिनांक 27-12-2022 तथा पत्र संख्या-498/मनरेगा/पत्रासं0-498/2022, दिनांक 21-01-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मनरेगा

http://sonsanadesh.up.gov.in

योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर विभिन्न रिक्तियों पर कार्मिकों की सेवायें प्राप्त किये जाने हेतु चयन की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मनरेगा योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर विभिन्न रिक्तियों पर कार्मिकों की सेवायें प्राप्त किये जाने हेतु चयन की कार्यवाही दिनांक 07-03-2024 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। शासनादेश दिनांक 05-02-2024 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

सुखलाल भारती
सचिव।

संख्या-4-2024-डीएफए-695587-38-7099-1090-2019-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त(श्रम रोजगार), उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सुखलाल भारती
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in